सं. 3105/34/2016-बीसी.III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक 2 सितंबर 2016

सेवा में,
सभी टीवी चैनल

विषय: मीडिया द्वारा बच्चे की पहचान प्रकट करने पर प्रतिबंध के संबंध में किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के प्रावधानों का कार्यान्वयन।

मीडिया द्वारा पीड़ित बच्चों की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से, टीवी चैनलों का ध्यान किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) के निम्नलिखित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है:-

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 74:

(1) किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में किसी समाचारपत्र, पत्रिका, समाचार पत्र या ऑडियो-विजुअल मीडिया या संचार के अन्य रूपों में कोई रिपोर्ट ऐसे नाम, पता या स्कूल या किसी अन्य विशिष्टता का खुलासा नहीं करेगी, जिससे कानून का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या किसी अपराध के पीड़ित बच्चे या साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत्त कीसी विधि के अधीन ऐसे मामलें लिप्त है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे किसी बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा: परंतु यथास्थिति, जांच करने वाला बोर्ड या समिति ऐसे प्रकटीकरण की अनुज्ञा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, दे सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बालक के सर्वोत्तम हित में हो।

(2) पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा उन मामलों में बच्चे के किसी अभिलेख का खुलासा नहीं करेगी जहां मामला बंद कर दिया गया है या उसका निपटान कर दिया गया है।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

धारा 23 पोक्सो अधिनियम, 2012:

"(1) कोई भी व्यक्ति पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक संबंधी सुविधाओं से किसी भी बच्चे के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट या टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है।

(2) मीडिया में कोई भी रिपोर्ट जिसमें बच्चे की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसके नाम सहित पता, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल, आस-पड़ोस, या कोई अन्य विवरण हो, जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है, का खुलासा नहीं करेगी। बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करने में सक्षम विशेष न्यायालय, ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के हित में है।

2. यह भी बताना जरूरी है कि एनसीपीसीआर ने देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की सुरक्षा टीवी धारावाहिकों में बच्चों की भागीदारी के विनियमन के संबंध में पहले कुछ सलाह/निर्देश/दिशानिर्देश, अनुपालन के लिए समय-समय पर टीवी चैनलों और उनके प्रतिनिधि निकायों एनबीए, आईबीएफ आदि को जारी किया था .टीवी धारावाहिकों आदि में बच्चों की भागीदारी के विनियमन पर एनसीपीसीआर के दिशानिर्देश, निर्देश देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की सुरक्षा एवं संरक्षण; मीडिया रिपोर्टिंग संबंधी दिशा-निर्देश, बच्चों पर रिपोर्टिंग संबंधी दिशा-निर्देश, मीडिया में नाबालिग आरोपी की पहचान के संदर्भ, के लिए गैर-प्रकटीकरण के संबंध में जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में दिनांक 19.7.2011, 8.8.2012, 23.11.2012, 28.3.2013 और 17.10.2013 क्रमशः को जारी आदेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें। ये मंत्रालय की वेबसाइट mib.nic.in पर उपलब्ध हैं

3. तदनुसार, सभी टीवी चैनलों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 (ii) के तहत वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग करते समय उपरोक्त सलाह/निर्देश/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर/-

(सोमवीर सिंह)
अवर सचिव (बीसी-II)
दूरभाष 23386819

प्रतिलिपि प्रेषित: श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनटेक हाउस, तृतीय तल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307